महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/ 495 दिनांक : 17/02/2020

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु Standard Operating Procedures (SOP) for corona virus infection prevention and control all aspects अनुसार कार्यवाही करने विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य चीन एवं नेपाल दोनों ही देशों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अतः उत्तराखण्ड राज्य में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना हो सकती है, हालांकि आप सभी के निरंतर प्रयासों से उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक कोरोना वायरस संक्रमण की कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो कि सराहनीय है। कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना होगा ताकि यह किसी भी प्रकार की महामारी का रूप ना ले सके।

उपरोक्त के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन हेतु Standard Operating Procedures (SOP) for corona virus infection prevention and control all aspects संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही के लिए आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन हेतु आप जनपद स्तर पर Standard Operating Procedures (SOP) for corona virus infection prevention and control all aspects अनुसार उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 एस0के0 गुप्ता)
निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य)

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/ 496

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
3. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डा0 एस0के0 गुप्ता)
निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य)

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/499 दिनांक : 28/02/2020

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद देहरादून।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित है कि वर्तमान मे कोरोना वायरस संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि बडी संख्या में विदेशी पर्यटक विश्व योग राजधानी ऋषिकेश में योग सीखने आते रहते है जिनसे शीघ्र अति शीघ सम्पर्क कर निगरानी में लिया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति को समय से रोका जा सके।

अतः आप अपने स्तर से मेडिकल टीम गठित कर विदेशी पर्यटको की स्वास्थ्य निगरानी व कोरोना वायरस सम्बन्धित समस्त निरोधात्मक गतिविधियां कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी निरन्तर ई0मेल idsputtarakhand@gmail.com पर सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/ 508 दिनांक : 04.03.2020

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन के अन्तर्गत Quarantine Facility चिन्हित किये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक, दिनांक 03 मार्च को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आहुत विडियो कान्फेसिंग मे दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आउटब्रेक सम्भावना के दृष्टिगत जनपद में जनसमूह एकत्रित व ठहरने हेतु Quarantine Facility बनाया जाना है। इसी क्रम मे आप जनपद में Quarantine Facility चिन्हित कर संलग्न प्रारूप पर Quarantine Facility से सम्बन्धित सूचना आवश्यक रूप से सांय : 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यलय को भेजना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त चिन्हित Quarantine Facility की तस्वीरे भी प्रारूप के साथ संलग्न करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/509

प्रतिलिपि :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड
डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135–2608763, फैक्स: 0135–2608746

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 512 दिनांक : 04/03/2020

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय चिकित्सा संघ,
देहरादून।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक किसी भी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है जिस हेतु निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग अपेक्षित है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आम जन मानस में विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियां फैल रही हैं जिससे स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रान्तियां उत्पन्न होने से रोकने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से समस्त निजी चिकित्सालयों मे विशेष सावधानियां व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही निजी चिकित्सालयों मे आईसोलेशन वार्ड की स्थिति से भी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 513

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से समस्त निजी चिकित्सालय संस्थानों मे उपरोक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. प्रदेश सचिव भारतीय चिकित्सा संघ उत्तराखण्ड।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड
डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/514 दिनांक : 04/03/2020

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

2. प्रधानाचार्य,
दून मेडिकल कालेज देहरादून/राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी, नैनीताल/
राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर पौडी गढवाल।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है। आप सभी के निरंतर प्रयासों से उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक कोरोना वायरस संक्रमण की कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो कि सराहनीय है। किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। इसी क्रम में जनपद में उपलब्ध प्रमुख चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज चिकित्सालयों में कोरोना वायरस रोगियों हेतु मानकानुसार आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार कर नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। आइसोलेशन फैसिलिटी में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ को तैनात कर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त आइसोलेशन फैसिलिटी में पर्याप्त बैड आरक्षित कर औषधियां व अन्य सामग्री की उपलब्धता रखनी है।

अतः उपरोक्त के क्रम मे आप जनपद के प्रमुख चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज चिकित्सालयों में आईसालेशन फैसिलिटी हेतु नामित नोडल अधिकारी/मेडिकल स्टाफ का विवरण फोन नम्बर सहित, आरक्षित बेडो की संख्या, औषधियां व अन्य सामग्री की उपलब्धता का विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आइसोलेशन फैसिलिटी की अद्यतन तस्वीरें भी अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/515

प्रतिलिपि :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल/कमाऊ मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि आपको मण्डलीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है एवं आप कोरोना वायरस से सम्बन्धित सभी दिशा निर्देश/माईक्रोप्लान अनुरूप मण्डल मे कार्यवाही कराना एवं निगरानी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटा जा सके।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/516 दिनांक : 04/03/2020

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य संरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक किसी भी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है जिस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

अतः उक्त विषयक आपसे अनुरोध है कि राज्य में आप अपने स्तर से राज्य के समस्त मीट मार्केट एवं स्लाटर हाउस पर निगरानी रखे जाने हेतु आपके अधीन जनपद स्तरीय खाद्य निरीक्षकों को एडवायजरी जारी करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/517

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल/कमाऊ मण्डल।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि जनपद स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

संख्या 118 /नि0स0/सचिव (प्र0)/चि0स्वा0/2020

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून, दिनाँक : 04 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस COVID-19 रोकथाम हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जैसा कि आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर संचालित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु जिला अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए।

उपरोक्त के कम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु संचालित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु जिला अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नामित किया जाता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अपने स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागों तथा अन्य पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा दैनिक अनुश्रवण करें एवं प्रतिदिन कृत कार्यवाही/अनुश्रवण रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 118 /नि0स0/सचिव (प्र0)/चि0स्वा0/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर संचालित गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट अनुश्रवण हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को प्रेषित की जाये।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 515 दिनांक : 05/03/2020

सेवा में,

औषधि नियंत्रक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक किसी भी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। प्रायः यह संज्ञान में आया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आम जन मानस में विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियां फैल रही हैं जिससे स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण प्रबन्धन के दृष्टिगत यह सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी भी प्रकार दवा के दाम न बढ़ें व अनावश्यक रूप से मास्क व दवाइयों की कालाबाजारी न होने पाये एवं आम जनमानस में उक्त से सम्बन्धित भय व भ्रांति की स्थिति व्याप्त ना होने पाये। अगर कहीं से कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार असुविधा न होने पाये।

उक्त विषयक पर अपने अधीन जनपद औषधि निरीक्षकों को भी दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 516

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, खाद्य संरक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल / कमाऊ मण्डल।
6. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/525 दिनांक : 06/03/2020

सेवा में,

State Head,
CAMP, 108,
चन्दर नगर देहरादून।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की आकस्मिकता की स्थिति के दृष्टिगत निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। इसी क्रंम में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के सम्भावित आउटब्रेक की तैयारियां मे 108 सेवा का सहयोग एवं समन्वय अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में कोरोना वायरस प्रबन्धन में राज्य स्वास्थ्य विभाग से सहयोग एंव समन्वय के दृष्टिगत 108 सेवा द्वारा एक्शन प्लान विकसीत किया जाना आवश्यक है। अतः कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि 108 सेवा का शीघ्र एक्शन प्लान जिसमें एम्बूलैंस की सुविधा, पी0पी0ई0 किट एवं एन0 95 मास्क की उपलब्धता आदि का विवरण हो विकसीत करने का कष्ट करें व साथ ही उक्त एक्शन प्लान को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/526

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल/कमाऊ मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 529 दिनांक : 06/03/2020

सेवा में,

1. महानिदेशक,
   सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त,
   परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य नगर आयुक्त
   नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार,, रूडकी, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रूद्रपुर

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की आकस्मिकता की स्थिति के दृष्टिगत निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। इसी क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति आम जनमानस में व्याप्त भ्रान्तियों के निदान एंव जन जागरूकता हेतु सही/तथ्यपूर्ण व सकारात्मक जानकारी प्रदान की जानी आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आम जनमानस मे अनावश्यक भय की स्थिति ना उत्पन्न हो इस हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए आप अपने स्तर से विभाग के स्टाफ एवं संसाधनो का उपयोग करते हुए क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान व बचाव हेतु जन जागरूकता किये जाने हेतु समुचित प्रचार प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

भवदीया

06/03/2020

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / CoV / 2020 / 530

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल / कमाऊ मण्डल।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक
06/03/2020

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/ 527 दिनांक : 06/03/2020

सेवा में,

1. उप महानिरीक्षक,
   भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई0टी0बी0पी0),
   देहरादून।
2. महाप्रवन्धक,
   भारतीय आयुध निर्माणियां
   देहरादून।
3. Commandant,
   सेना चिकित्सालय देहरादून/रूड़की।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है। राज्य मे कोरोना वायरस रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य स्वास्थ्य विभाग पूर्ण समर्पित है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की आकस्मिकता की स्थिति के दृष्टिगत निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। इसी क्रम में आपके संस्थान के चिकित्सालय मे कोरोना वायरस संक्रमण के समुचित रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाहियां निरन्तर की जानी अपेक्षित है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके :

1. चिकित्सालय में यथाशीघ्र आईसोलेशन फैसिलिटी को मानकानुसार तैयार रखना जिस हेतु हास्पिटल आइसोलेशन, सैम्पल जांच एवं डिस्चार्ज पालिसी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।
2. आईसोलेशन फैसिलिटी मे पर्याप्त मात्रा में पी0पी0ई0 किट एवं एन0 95 मास्क की उपलब्धता रखना।
3. आईसोलेशन फैसिलिटी हेतु नोडल अधिकारी नामित कर पर्याप्त मेडिकल स्टाफ को तैनात करना।
4. किसी भी संदिग्ध कोरोना वायरस रोगी की समय से पहचान कर आईसोलेशन मे रखे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
5. संदिग्ध मरीज को लाने व ले जाने के लिए एम्बूलैंस की व्यवस्था जिसमें इन्फेक्शन कन्ट्रोल की सुविधा हो।

अतः उपरोक्त के क्रम मे आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें व साथ ही किसी भी संदिग्ध कोरोना वायरस संक्रमण रोगी के रिपोर्ट होने पर इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया

06/03/2020

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/ 528

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढवाल/कमाऊ मण्डल।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

06/03/2020

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/ 533

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 07 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भी भागीदारी एवं समन्वय के साथ कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के क्रम में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्य दायित्व आपको संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहे है। अतः आप अपने स्तर से जनपद में अन्तर्विभागीय समन्वय बनाते हुए संलग्न कार्यदायित्व के अनुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/ 534 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

7/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

प्रेषक,

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/535

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव, पर्यटन/परिवहन/विद्यालयी शिक्षा/उच्च शिक्षा/पंचायती राज/शहरी विकास/परिवहन/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास/आपदा प्रबन्धन/श्रम।
2. महानिदेशक, पुलिस विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
3. प्रबन्धक रेलवे देहरादून।
4. निदेशक एयरपोर्ट देहरादून , पन्तनगर व पिथौरागढ।
5. निदेशक एम्स ऋषिकेश।
6. कमान्डेंट, आर्मी, आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0।
7. अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ देहरादून।
8. औषधि नियंत्रक उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण **देहरादून : दिनाँक : 7 मार्च, 2020**

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ आपके विभागों की भी भागीदारी एवं समन्वय के साथ कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के क्रम में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग के साथ आपके विभागों के कार्य दायित्व आपको संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहे है। अतः आप अपने स्तर से संलग्न कार्यदायित्व के अनुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/536 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
5. नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

7/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/537

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 13 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में इस संक्रमण काल में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक आपको जितने भी दिशा निर्देश जारी किये गये है सबकी संकलित प्रतियां अवलोकन एवं उचित कार्यवाहियां हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
ह0 सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/538 तददिनांकित।
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

14/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
ह0 सचिव (प्रभारी)

Letter No. 23P/IDSP/COVID 19/2020/ 539

From,

Dr. Pankaj Kumar Pandey,
Secretary (Incharge).

To,

1. Secretary,
Urban Development,
Govt. of Uttarakhand.

2. Secretary,
Tourism,
Govt. of Uttarakhand.

Medical Health and Family Welfare **Dehradun, Date:** 15/03/2020

Subject: Advisory for hotels in Uttarakhand state for reporting of any person travelled from China and other affected countries or was in contact of any Corona Virus confirmed case in last 14 days regarding.

Sir,

I would like to bring to your kind notice that Uttarakhand state government is dedicatedly taking all necessary steps to prevent occurrence and spread of Corona Virus in the state. To prevent any unusual event due to Corona Virus in Uttarakhand State, the state is conducting extensive surveillance in terms of entry screenings at International borders and Airports. Currently there is no confirmed Corona Virus case in Uttarakhand.

In order to strengthen preparedness, it is essential to early identify any passenger who have visited China country and other affected countries i.e Hongkong, Republic of Korea, Japan, Italy, Thailand, Singapore, Iran, Malaysia, France, Spain and Italy or was in contact of any Corona Virus confirmed case in last 14 days. It might be possible; any such person may be residing in any Hotel in Uttarakhand state. It is a request to kindly inform and sensitize these hotel owners and managers on this issue. If any guest report to them as above, the same information must be communicated to District health authority immediately. This will help in early detection of any suspect. The advisory for hotels and IEC material regarding corona virus prevention and control is enclosed.

Thanking You.

Enclosure as above.

Yours Sincerely,

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
o/c Secretary (Incharge)

Letter No. 23P/IDSP/COVID 19/2020/ 540

Copy to following for information:

1. Secretary, Medical Health and Family Welfare, Govt. of Uttarakhand.
2. Mission Director, National Health Mission, Uttarakhand.
3. Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand.
4. District Magistrate, All Districts, Uttarakhand.
5. SSP/SP, All Districts, Uttarakhand.
6. CMOs, All Districts, Uttarakhand.

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
o/c Secretary (Incharge)

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/541

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
जनपद चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ, उधमसिंह नगर।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 15 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत जनपद में Quarantine Facility स्थापित करने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए Quarantine Facility स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्व मे विभिन्न माध्यमो से आपको अपने जनपदो में Quarantine Facility स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः आप जनपद में स्थापित Quarantine Facility व Facility मे उपलब्ध सेवाओं से सम्बन्धित सूचना संलग्न प्रारूप पर अतिशीघ्र भिजवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें व साथ ही उक्त चिन्हित Quarantine Facility की तस्वीरे भी प्रारूप के साथ संलग्न करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/542 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ, उधमसिंह नगर।

15/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/ 543

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

3.समस्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

4.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

5.समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 15 मार्च, 2020

विषय –एडवायजरी कोरोना वायरस COVID-19 विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियन्त्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु राजकीय एवं निजी कार्यालयों एवं अन्य कार्यस्थलो मे निम्न कार्यवाही की जानी है :

1. यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय साफ और स्वच्छ रहें।
2. कार्यालय में बैठकों या समारोहों का आयोजन स्थगित करें सम्भव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग का उपयोग करें।
3. खांसी, जुकाम, सांस लेने मे तकलीफ के लक्षण वाले कर्मचारियों को कार्यालय पर नही आने व सम्भव हो सके तो कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति प्रदान की जाये।
4. कार्यालय में कर्मचारी अभिवादन में हाथ ना मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का उपयोग करें।
5. कार्यालय के सभी वाशरूम में साबुन, हैंड वाश और सैनीटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 23प / आई0डी0एस0पी0 / COVID 19 / 2020 / 545

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 16 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए भीड–भाड या किसी भी जमावड़ें को टालने या सम्भवतः हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भीड–भाड या किसी भी जमावड़ें को रोकने के लिए आप अपने स्तर से चिकित्सालयों मे रोगियों से आगुन्तको के मिलने के समय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
O/C सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प / आई0डी0एस0पी0 / COVID 19 / 2020 / 546 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

14/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
O/C सचिव (प्रभारी)